भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 305**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए
भारतीय निर्यातकों को प्राप्त लाभ

305. श्रीमती रचना बनर्जी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2022 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर होने के बाद से अब तक भारतीय निर्यातकों और निर्माताओं द्वारा प्राप्त लाभों का विस्तृत मूल्यांकन प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) सीईपीए के बाद से किन विशिष्ट क्षेत्रों द्वारा संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है;
(ग) क्या एमएसएमई को इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए कोई सहायता प्रदान की जा रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सीईपीए के अंतर्गत प्रशुल्क कटौती से लाभान्वित होने वाले भारतीय उत्पादों की सूची का ब्यौरा क्या है और इसने संयुक्त अरब अमीरात के बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता को किस प्रकार प्रभावित किया है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क): भारत- संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर दिनांक 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षर किए गए और यह दिनांक 1 मई 2022 से लागू हुआ। यह समझौता भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात के व्यवसायों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है, जिसमें बेहतर बाजार पहुँच और कम टैरिफ शामिल हैं। सीईपीए पर हस्ताक्षर के बाद से, भारत-संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय व्यापार में जबरदस्त वृद्धि और विविधता देखी गई है और व्यापार वित्त वर्ष 2021-22 के 72.87 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 100.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद से भारत- संयुक्त अरब अमीरात पक्ष

के साथ नियमित उच्च स्तरीय बैठकों जैसे संयुक्त समिति के माध्यम से लगातार संपर्क में रहा है जिसे सीईपीए के कार्यान्वयन का जायजा लेने के लिए एक संस्थागत तंत्र के रूप में स्थापित किया गया है। द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए वस्तु व्यापार समिति की भी कई बार बैठकें हो चुकी हैं। दोनों पक्षों ने सेवाओं में व्यापार, उत्पत्ति के नियमों, सीमा शुल्क प्रक्रिया और व्यापार सुविधा से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए विभिन्न अन्य उप-समितियों को भी कार्यान्वित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।

(ख): संयुक्त अरब अमीरात को हमारा व्यापारिक निर्यात 2021-22 में 28.04 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 36.63 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है, जो 7% की वृद्धि दर्शाता है। सीईपीए लागू होने के बाद से भारत से निर्यात में वृद्धि देखने वाले प्रमुख क्षेत्र इंजीनियरिंग सामान, रत्न और आभूषण, कृषि उत्पाद, समुद्री उत्पाद, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान हैं।

(ग): सीईपीए के प्रावधानों के तहत, भारत को एमएसएमई के लिए महत्वपूर्ण कई क्षेत्रों को शामिल करते हुए संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रदान की गई अधिमान्य बाजार पहुंच से लाभ होगा। एमएसएमई मंत्रालय ने द्विपक्षीय सीईपीए के प्रावधान के तहत एक संयुक्त एसएमई समिति का गठन किया है, ताकि दोनों पक्षों के एसएमई के बीच साझेदारी को बढ़ावा दिया जा सके और भारत-संयुक्त अरब अमीरात सीईपीए से उत्पन्न वाणिज्यिक अवसरों का लाभ उठाने में एसएमई की सहायता के तरीकों की पहचान की जा सके। बाजार पहुंच पहल (एमएआई) योजनाओं के माध्यम से, एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो संयुक्त अरब अमीरात सहित लक्षित देशों में भारत के निर्यात को निरंतर बढ़ावा देने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। एमएसएमई मंत्रालय ने, अपनी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) योजना के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भारत के एमएसएमई प्रतिनिधियों के प्रतिनिधिमंडलों की भागीदारी को सुगम बनाया है।

(घ): भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सीईपीए क्रमशः भारत (11,908) और संयुक्त अरब अमीरात (7,581) की लगभग सभी टैरिफ लाइनों को कवर करता है। भारत को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा अपनी 97% से अधिक टैरिफ लाइनों पर प्रदान की गई अधिमान्य बाजार पहुँच से लाभ मिलता है, जो मूल्य के संदर्भ में संयुक्त अरब अमीरात को भारतीय निर्यात का 99% हिस्सा है, जिसमें रत्न और आभूषण, वस्त्र, चमड़ा, जूते, खेल के सामान, प्लास्टिक, फर्नीचर, कृषि और लकड़ी के उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद, चिकित्सा उपकरण और ऑटोमोबाइल शामिल हैं।

*****